संख्या: 43/2021/687/छप्पन-2021-31/2016(Stage-2)

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
न्याय/वित्त/गृह/राजस्व/ग्राम्य विकास/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं शहरी नियोजन/ नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ महिला कल्याण/ऊर्जा/पंचायती राज/सहकारिता/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यटन/ धर्मार्थ कार्य/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2021

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय।

महोदय,

नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 16 मार्च, 2021 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

(1) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/स्टेज-2 के लिए 1185.6914 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण के लिए (रू0 900 के दो गुना=रू0 1800+रू0 500 एक्सग्रेशिया= रू0 2300/- मात्र) प्रति वर्गमीटर (तोषण सहित) की दर से कुल प्रतिकर लगभग रू0 2727.00 करोड़ (रूपए सत्ताइस सौ सत्ताइस करोड़ मात्र) तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-30(3) के अन्तर्गत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत संगणित रकम (अनुमानित 01 वर्ष के लिए) रू0 138.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आँकलित धनराशि रू0 1,63,62,54,132.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 28,90,71,56,332/- (रूपए अठ्ठाइस अरब नब्बे करोड़ इकहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) उपर्युक्त 1185.6914 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग रू0 2890 करोड़ (रूपए अट्ठाइस सौ नब्बे करोड़ मात्र) में से राज्य सरकार के अंश के सापेक्ष रू0 1084 करोड़ (रूपए एक हजार चौरासी करोड़ मात्र) की धनराशि को जिलाधिकारी/कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के फेज-1/स्टेज-2 हेतु प्रस्तावित कुल 1363.4543 हैक्टेयर भूमि में से राजस्व अभिलेखों में यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5495 है0 भूमि को यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के नाम अन्तरित किए जाने तथा "**श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ**" के नाम दर्ज किए जाने तथा इस अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-314/77-3-16-163एम/15 दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों-नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना ऐक्सप्रेस-वे के सन्दर्भ में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्राक्रिया का निर्धारण किया गया है। अत: यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुरैब की 16.3920 है0 भूमि, जिसकी लागत लगभग रू0 37.70 करोड़ है, को यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 2016 में विहित प्रक्रियानुसार सीधे नागरिक उड्डयन विभाग के नाम क्रय करने हेतु अधिकृत किए जाने तथा यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5495 है0 भूमि के अनुसार लगभग रू0 84.06 करोड़ है अर्थात् कुल धनराशि रू0 121.76 करोड़ को यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की NIAL में अंशधारिता 12.50 प्रतिशत के सापेक्ष समायोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5) वर्णित अर्जन/अधिग्रहण/क्रय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली शासकीय/ग्राम सभा की 124.8214 हैक्टेयर भूमि के यथाप्रक्रिया पुनर्ग्रहण एवं नागरिक उड्डयन विभाग के नाम नि:शुल्क एवं समस्त व्यय भार मुक्त रूप से हस्तान्तरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) वर्णित नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु अर्जन/अधिग्रहण/ क्रय/ पुनर्ग्रहण/विनिमय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी की भूमि लेने के लिए अपेक्षित श्रेणी परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण मूल्य तथा वार्षिक किराया अदा किए जाने से छूट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(7) राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25)/ 2013टी0सी0 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत भू-अर्जन/अधिग्रहण हेतु प्रतिकर लागत की 2.50% धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट है और जो एक सरकारी विभाग (नागरिक उड्डयन विभाग) से दूसरे सरकारी विभाग (राजस्व विभाग) को दी जानी है, से छूट प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25)/2013 टी0सी0 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में दी गयी सारणी के क्रमांक-2, क्रमांक-3, क्रमांक-4 एवं क्रमांक-5 पर अंकित मदों से सम्बन्धित प्रस्तावित/वास्तविक व्यय का वहन नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जिलाधिकारी/कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपलब्ध/सत्यापित कराए गए प्रस्तावित/वास्तविक व्यय के विवरण के अनुसार किए जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(9) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए अर्जन/अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों/अवरोधों/अवसंरचनाओं के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) हेतु आवश्यक धनराशि का वास्तविक ऑकलन जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(11) राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमि को नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0(NIAL) द्वारा लीज पर दिए जाने तथा एयरपोर्ट का विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (यथा प्रक्रिया लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिए जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(12) परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में कलैक्टर/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
अपर मुख्य सचिव

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0- 43/2021/687(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
8. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
9. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विशाख जी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।